

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

सुरजीत पुत्र श्री बनवारीताल वनाम राजस्वान सभार परिषद् हदमीतदपर आदरा
जाति गुजर नि० गांधीवडी आदि

दावा बाबत :- 88 रिस्ता व

मुकदमा नम्बर :- 165/19


निर्णय दिनांक :- 01-11-21

वादी की ओर से वकील कृष्ण भारी की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील पतेश्वर राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.11.21 को
मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि

राँधी भोजन व डोर के खाता न० 129/123 के मु० न०
54, 61 की कुल प. 500 है व चक्र 6 डोर के खाता न०
133/131 के मु० न० 80, 81 की कुल 3.514 है वार्षिक भूमि
में राजपाल पुत्र बनवारीताल के नाम क्रमशः 120 रिस्ता व 190
रिस्ता राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है में वादी के नाम राजपाल पुत्र
बनवारीताल के खान पर सुरजीत उर्फ राजपाल पुत्र बनवारीताल
की घोषणा की जाती है किनी सभारी संख्या या किनी न्यायालय
में कोई हेतु अपवा बमथा की स्थिति में वादी व नाम
राजपाल पुत्र बनवारीताल की पुत्रापी रहेगा व एम हेतु
वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्तानुसार वादी के
नाम सुरजीत उर्फ राजपाल पुत्र बनवारीताल की घोषणा उक्त
राजस्व रिपोर्ट में दर्ज किया जाना रिपोर्ट उक्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़